29/8/23

पत्रावली पेश। अभियोजन पक्ष उपस्थित। विधिवत बहस सुनी गई। पत्रावली का निर्णय सुनाने हेतु लिया जाता है। अभियुक्त सुकुमार बोस हाजिर हिरासत से

B Kaushik

[illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

ग संख्या :– 102/2022

दीगण

1. लिखमीचन्द पुत्र श्रीराम
2. ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम
   जाति देशान्तरी निवासी गुड़ामालानी, तहसील गुड़ामालानी

प्रतिवादीगण **बनाम**

1. चुन्नीलाल पुत्र श्रीराम
2. मांगीलाल पुत्र श्रीराम
3. छगनीदेवी पत्नी श्रीराम
4. श्रीराम पुत्र पाबूदान (फौत) के कायम मुकाम (वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3)
5. श्रवणकुमार पुत्र मगाराम (फौत) क कायम मुकाम–
   5/1 स्वरूपपुत्र श्रवण
   5/2 देवाराम पुत्र श्रवण
   5/3 गोपी पत्नी श्रवण
6. भीमा पुत्र मगाराम
7. मोहन पुत्र मगाराम
8. हरी पुत्र मगाराम
9. शकर पुत्र मगाराम
10. चंदा पत्नी मगा (फौत) के कायम मुकाम (प्रतिवादी संख्या 6 से 9)
11. भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र
12. पुखराज पुत्र दोलाराम
13. चेनाराम पुत्र दोलाराम
14. मदन पुत्र रूपाराम
15. नरपत पुत्र रूपाराम
16. जगदीश पुत्र रूपाराम
17. अशोक पुत्र रूपाराम
18. छगनी देवी पत्नी रूपाराम
    जाति देशान्तरी निवासी गुडामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
19. ईशराराम पुत्र प्रेमाराम कौम कलबी निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी
20. तहसीलदार एवं उप पंजीयक गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. **श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता वादीगण**
2. **श्री गंगाराम विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 29/8/23

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि सेटलमेंट के ग्राम गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 1756 रकबा 5.2690 हैक्टेयर (32–11 बीघा) का वादीगण के परदादा मुतवफी बलीदान के नाम का आया हुआ है। बलीदान के फौत होने पर उनके पुत्र पाबूदान के नाम दर्ज हुआ, पाबूदान

सहायक कलक्टर गुड़ामालानी

के फौत होने पर उसके पांचों पुत्र मगाराम, रामचन्द्र, श्रीराम, दौलाराम, रूपाराम के नाम से दर्ज हुआ इस प्रकार वर्तमान में श्रीराम के नाम से 1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता पति श्रीराम फौत हो चुके हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक आराजी में पिता के फौत होने पर विधिक वारिसों के नाम आना तय है, वादीगण श्रीमान के पुत्र होने से वादीगण का जन्म से ही श्रीराम के साथ सह खातेदार के रूप में कायम हो गये इसलिये वादीगण का श्रीराम के साथ हिन्दु विधि के पैतृकता के सिद्धान्त अनुसार पिता के साथ पुत्र का बराबर हक हिस्सा बनता है। वादीगण के पिता फौत होने से उक्त आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 का 1/25–1/25 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का संयुक्त 1/25 हिस्सा बनता है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 4 श्रीराम ने प्रतिवादी संख्या 19 को जरिये रजिस्ट्री बेचान 12.08.2021 को पंजीयन संख्या 202103092101308 द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा बेचान कर दिया गया है। जो श्रीराम द्वारा अपने हकों से अधिक का बेचान किया गया है अपने हिस्से के साथ–साथ वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का भी हिस्सा बेचान कर दिया गया है। अतः उक्त बेचान को शून्य कर वादीगण संख्या 1 व 2 का 1/25–1/25 हिस्सा घोषित किये जाने हेतु उक्त वाद लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 12, 13, 14, 16 ता 19 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी वादीगण के वाद पत्र का कोई जबाव पेश नहीं किये जाने से जबाव का अवसर बन्द किया गया। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादीगण द्वारा वादीगण की मौखिक साक्ष्य में PW-1 ओमप्रकाश, PW-2 लिखमीचन्द, PW-3 शंकरलाल को उपस्थित कर बयान कलमबद्ध करवाऐ गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबन्दी, प्रदर्श–2 खसरा नक्शा, प्रदर्श–3 खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2012 से 2031 प्रदर्श–4 बेचान दस्तावेज दिनांक 12.08.2021, प्रदर्श–5ए श्रीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायप्रति प्रदर्शित करवाई गई।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजात का

गम्भीरता पूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–4 बेचान दस्तावेजात के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि वादीगण के पिता श्रीराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजी में अपने हिस्से के सम्पूर्ण हिस्से का बेचान किया जा चुका था। चूंकि वर्तमान में श्रीराम का स्वर्गवास भी हो चुका है। तथा प्रश्नगत बेचान पंजीयन संख्या 202103092101308 दिनांक 12.08.2021 को शून्य करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को ना होकर दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/8/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलेक्टर, (S.D.O) गुडामालानी